

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, फागी, जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक/न.पा.फागी/2025-26/ 14042

दिनांक:- 14/10/25

एम्पावर्ड कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 14/10/25 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगरपालिका फागी- अध्यक्ष
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फागी- सदस्य
3. कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका फागी- सदस्य
4. वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका फागी- सदस्य

विचारणीय बिन्दु :-1

लेआउट प्लान अनुमोदन रिद्धी सिद्धी अनक्लेव जरिये आवेदक श्री अमरनाथ पुत्र श्री शिवजीराम, अमित शर्मा पुत्र श्री शिवजीराम, शिवजीराम पुत्र श्री माधो, मोती देवी पत्नी शिवजीराम, जाति शर्मा निवासी फागी, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्व ग्राम फागी उत्तर, पटवार हल्का फागी उत्तर, भूअभिलेख निरिक्षक क्षेत्र-फागी, के खसरा नम्बर 1473, 1474, 3854, 3855, 3852 कुल रकबा 1.1887 हैक्टेयर है।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत लेआउट प्लान का अवलोकन किया गया एवं इस पर टाउनशिप पॉलिसी 2024 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श किया गया। कमेटी के समक्ष इस लेआउट प्लान के निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए हैं :-

1. इस योजना का क्षेत्रफल 1.1887 हैक्टेयर में से कुल स्कीम एरिया 1.1887 हैक्टेयर है।
2. कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल 52.01 प्रतिशत प्रस्तावित किया है, जिसमें 52.82 प्रतिशत आवासीय, 0.66 प्रतिशत इनफोर्मल प्रस्तावित किया है।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान सं. 1ए के अनुसार निजी विकासकर्ता को कुल आवासीय विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है, प्रस्तावित योजना में इस हेतु भूखण्ड आरक्षित नहीं किये हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान संख्या 1ए1 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की कीमत आवेदक से जमा करवायी जावेगी।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार योजनाओं में सुविधा क्षेत्र में पार्क/प्ले ग्राउण्ड हेतु 7 प्रतिशत और पब्लिक यूटिलिटी हेतु न्यूनतम 4 प्रतिशत, फेसिलिटी हेतु न्यूनतम 4 प्रतिशत होना आवश्यक है। प्रस्तावित योजना में 7 प्रतिशत पार्क/प्ले ग्राउण्ड के लिए पब्लिक यूटिलिटी के लिए 4 प्रतिशत तथा 4.00 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के लिए योजना में आरक्षित किया गया है।

कनिष्ठ अभियंता
नगरपालिका फागी

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका फागी

प्रशासक
नगरपालिका फागी

5. प्रस्तावित योजना में सडकों हेतु 30-21 प्रतिशत क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बिन्दु सं. 3.2.1 के अनुसार योजनाओं में खुला/पार्क/सडक/सुविधा आदि क्षेत्र 40 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है, जिसकी पालना योजना में की गयी है।
6. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बिन्दु 3.5.2(1) सारणी 5 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक की योजनाओं में पहुंच मार्ग 12 मीटर अपेक्षित है। प्रस्तावित योजना को 12 मीटर का पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है।
7. प्रस्तुत योजना मानचित्र में ठोस कूड़ा करकट संग्रहण केन्द्र एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानानुसार टेलीकॉम टॉवर हेतु क्षेत्रफल आरक्षित रखा गया है।
8. प्रकरण में आवेदित भूमि के बावत् किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद/विवाद विचाराधीन है अथवा विपरीत निहित है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा एवं एम्पावर्ड कमेटी द्वारा योजना मानचित्र अनुमोदन माननीय न्यायालय के निर्णयों के दिशा-निर्देशों के अध्वधीन रहेंगे।
9. प्रकरण में आवेदित योजना में भूखण्डों पर राजस्थान भवन विनियम 2025 के अनुसार सेटबैक आदि पैरामेटीर रखे जाकर निर्माण किये जाने से पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

प्रस्तावित योजना के उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया कमेटी की राय में योजना में आवासीय, इन्फोर्मल, व्यावसायिक, सुविधा क्षेत्र (सडक, पार्क, पब्लिक यूटिलिटी, फेसिलिटी, एसडब्ल्यूएम, मोबाईल टॉवर आदि) हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्रफल राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 तथा तकनीकी मापदण्डों से संगतता रखते हैं। अतः कमेटी द्वारा ईडबल्यूएस/एलआईजी के पेटे विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत राशि डीएलसी/आरक्षित दर से जमा करवाने तथा आन्तरिक विकास के पेटे 10 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखते हुए प्रस्तावित लेआउट प्लान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं मौका स्थिति के अनुसार पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया।

सन्देश कुमार
प्रशासक
नगरपालिका फागी
(अध्यक्ष) एम्पावर्ड कमेटी

राजपाल बुनकर
अधिसूचना अधिकारी
नगरपालिका फागी
(सदस्य) एम्पावर्ड कमेटी

भीम सिंह भीणा
कनिष्ठ अभियंता
नगरपालिका फागी
(सदस्य) एम्पावर्ड कमेटी

चौधमल भीणा
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका फागी
(सदस्य) एम्पावर्ड कमेटी



कार्यालय नगरपालिका फागी जयपुर (राज.)

Email Id : phaginagarpalika@gmail.com

1594

क्रमांक:- न.पा.फा./2025-26/5182

दिनांक:- 06/01/2026

1. श्रीमति मोती देवी पत्नी शिवजीराम निवासी तहसील-फागी जयपुर, राजस्थान
2. श्री अमरनाथ पुत्र शिवजीराम निवासी तहसील-फागी, जयपुर राजस्थान
3. श्री अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम निवासी तहसील-फागी, जयपुर राजस्थान
4. श्री शिवजीराम पुत्र श्री माधो निवासी तहसील-फागी, जयपुर राजस्थान

विषय:- रहन रखे गए भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरपालिका फागी द्वारा राजस्व फागी तहसील फागी मु0 फागी जिला जयपुर राजस्थान के खसरा नम्बर (फागी उत्तर) 3852, 1473, 1474, 3854, 3855 कुल रकबा 1.1887 है, भूमि का योजना रिट्टी-सिद्धी एन्क्लेव का आवासी प्रयोजनार्थ का 90-क आदेश क्रमांक न.पा.फागी/2025-26/4042 दिनांक 14.10.2025 को जारी किया गया, जिसका ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

योजना रिट्टी-सिद्धी एन्क्लेव में आपके द्वारा 12.5 प्रतिशत भूमि नगरपालिका के पक्ष में रहन रखते हुए एक रहनामा प्रस्तुत किया गया है, जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 36 से 40 एवं 43 से 48 कुल भूखण्ड 11 को रहन रखा जाता है।


(राजपाल बुनकर)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका फागी



कार्यालय नगरपालिका फागी जयपुर (राज.)

Email Id : phaginagarpalika@gmail.com

15*

क्रमांक:- न.पा.फा./2025-26/5182

दिनांक:- 06/01/2026

1. श्रीमति मोती देवी पत्नी शिवजीराम निवासी तहसील-फागी जयपुर, राजस्थान
2. श्री अमरनाथ पुत्र शिवजीराम निवासी तहसील-फागी, जयपुर राजस्थान
3. श्री अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम निवासी तहसील-फागी, जयपुर राजस्थान
4. श्री शिवजीराम पुत्र श्री माधो निवासी तहसील-फागी, जयपुर राजस्थान

विषय:- रहन रखे गए भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरपालिका फागी द्वारा राजस्व फागी तहसील फागी मु0 फागी जिला जयपुर राजस्थान के खसरा नम्बर (फागी उत्तर) 3852,1473,1474,3854,3855 कुल रकबा 1.1887 है, भूमि का योजना रिट्टी-सिद्धी एन्क्लेव का आवासी प्रयोजनार्थ का 90-क आदेश क्रमांक न.पा.फागी/2025-26/4042 दिनांक 14.10.2025 को जारी किया गया, जिसका ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

योजना रिट्टी-सिद्धी एन्क्लेव में आपके द्वारा 12.5 प्रतिशत भूमि नगरपालिका के पक्ष में रहन रखते हुए एक रहनामा प्रस्तुत किया गया है, जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 36 से 40 एवं 43 से 48 कुल भूखण्ड 11 को रहन रखा जाता है।

(राजपाल बुनकर)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका फागी

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27 MAR 2025

आदेश

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन/उपविभाजन तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालना में भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन/उप विभाजन तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है।

इन प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर भी कार्य संचालन सुगमता से किये जाने तथा आवश्यकता होने पर प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

क्र.सं.	कार्य	तकनीकी परीक्षण हेतु सक्षमता	निस्तारण/स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षमता	अंतिम स्वीकृति/निर्णय
1	भवन मानचित्र अनुमोदन			
1.1	500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (15 मीटर ऊंचाई तक)	नगर नियोजन सहायक/ वरिष्ठ प्रारूपकार	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.2	2500 वर्गमीटर तक (15 मीटर ऊंचाई तक)	सहायक नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.3	2500 वर्गमीटर तक (समस्त अनुमत ऊंचाई के)	उप नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.4	समस्त क्षेत्रफल एवं समस्त ऊंचाई	वरिष्ठ नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.5	विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में 60 मी. (स्टील्ट सहित) ऊंचाई से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में 40 मी (स्टील्ट सहित) ऊंचाई से अधिक तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में 30 मी. (स्टील्ट सहित) ऊंचाई से अधिक के प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।			
2	कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट			
2.1	1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई तक के प्रकरण	वरिष्ठ प्रारूपकार/नगर नियोजक सहायक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकारी अधिकारी

2.2	2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई तक के प्रकरण	सहायक नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
2.3	30 मीटर ऊँचाई तक के समस्त क्षेत्रफल के प्रकरण	उप नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
2.4	30 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त क्षेत्रफल के प्रकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
3	ले-आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा हेतु योजना अनुमोदन/उपविभाजन व पुर्नगठन अनुमोदन			
3.1	2.0 हैक्टर क्षेत्रफल तक के प्रकरण	वरिष्ठ प्रारूपकार/नगर नियोजक सहायक/सहायक नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.2	2.0-5.0 हैक्टर क्षेत्रफल तक के प्रकरण	उप नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.3	5.0 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.4	विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 25000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 2500 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।			
3.5	औद्योगिक भू-उपयोग हेतु एकल पट्टा प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2012 के अनुसार 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान समिति से अनुमोदन उपरान्त पट्टा जारी किया जा सकता है तथा 10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु अंतिम स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार गठित समिति से प्राप्त की जानी होगी।			

सामान्य निर्देश :-

1. उपरोक्त सेवाओं हेतु आवश्यक रूप से ऑनलाईन ही आवेदन स्वीकार किये जावे।
2. उपरोक्तनुसार निर्धारित तकनीकी सक्षमता के अनुरूप नगरीय निकाय में तकनीकी अधिकारी नियुक्त नहीं होने पर उक्त सक्षमता के अनुसार संबंधित जिला नगर नियोजक अथवा संभाग स्तरीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय से तकनीकी राय/ अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।
3. इन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। प्रकरणों के परीक्षण उपरान्त अंतिम स्वीकृति हेतु निकाय स्तरीय सक्षम समिति को इस चैक लिस्ट में सूचना भरकर अंतिम निर्णय हेतु सक्षम समिति के समक्ष आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।

4. राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशष्ट 'ब' पर संलग्न है। नगरीय निकाय द्वारा इस चैक लिस्ट में आवश्यक सूचना भरकर तथा संलग्नकों के साथ ही प्रस्ताव निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित भवन विनियमों में एम्पनेल्ड आर्किटेक्ट को भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट हेतु प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुरूप भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। नगरीय निकाय द्वारा उनके क्षेत्र में एम्पनेल्ड आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई स्वीकृतियां व जमा राशियां का विवरण ऑनलाईन प्रदर्शित किया जाना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल, राजस्थान
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम



कार्यालय नगरपालिका फागी जयपुर (राज.)

Email Id : phaginagarpalika@gmail.com

158

क्रमांक:- न.पा.फा./2025-26/5282

दिनांक:- 20/01/2026

:--कार्यालय आदेश :-

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 एवं आदेश क्रमांक 2014 पार्ट दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार ले-आउट अनुमोदन हेतु नगर निकाय के प्राधिकृत अधिकारी को एवं निर्णय हेतु ले-आउट प्लान समिति को अधिकृत किया है। तदनुसार नगरपालिका फागी के क्षेत्राधिकार में ले-आउट अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फागी होंगे।

1. प्रशासक, नगरपालिका फागी :-

अध्यक्ष

2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फागी :-

सदस्य सचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी

3. सहायक अभियंता, नगरपालिका फागी :-

सदस्य

4. वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका फागी :-

सदस्य

(राजपाल बुनकर)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका फागी

क्रमांक :- न.पा.फा./2025-26/5283-5286

दिनांक:- 20/01/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

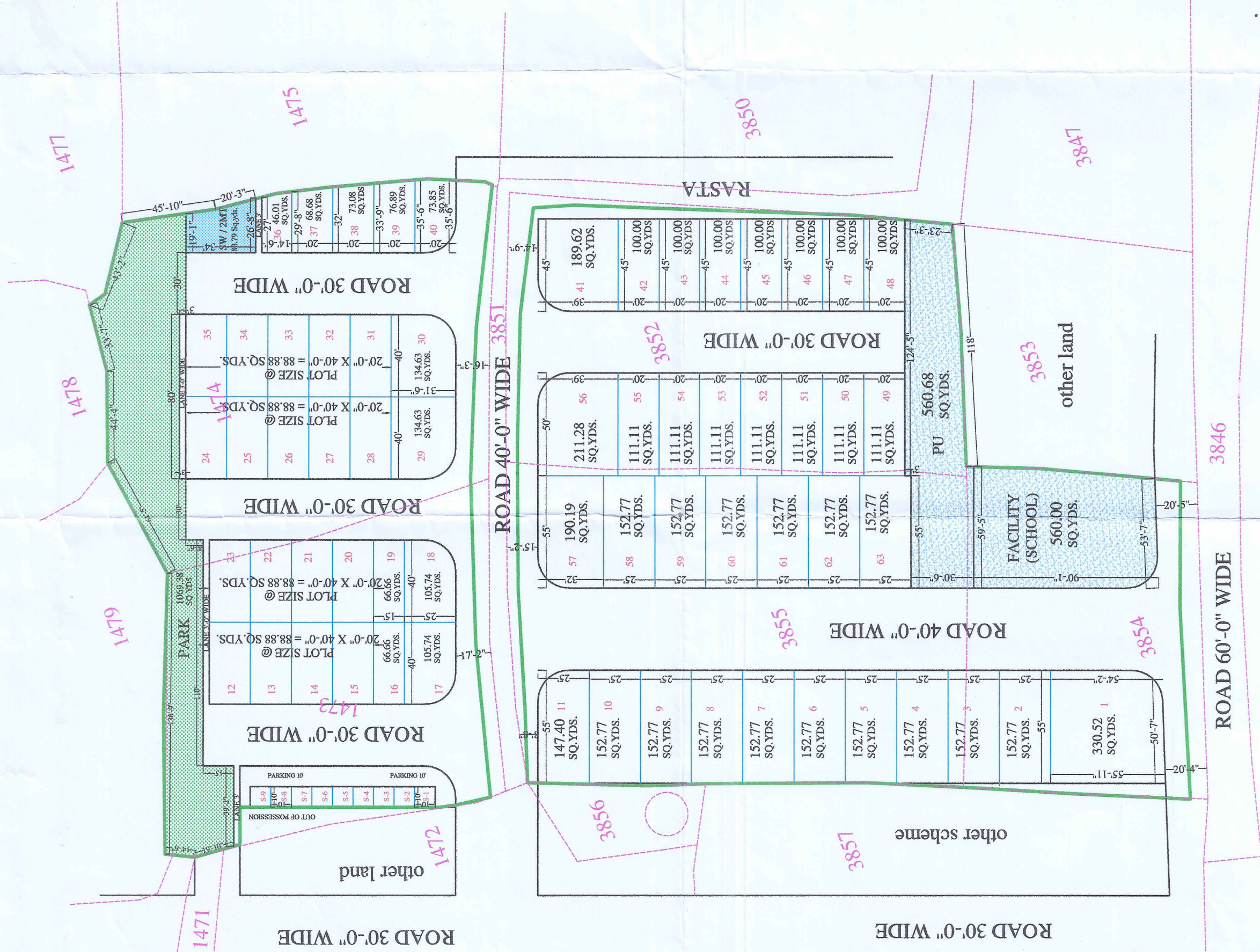
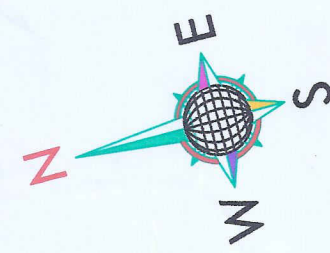
1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगरपालिका फागी।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फागी।
3. सहायक अभियंता, नगरपालिका फागी।
4. वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका फागी।
5. रक्षित पत्रावली।

(राजपाल बुनकर)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका फागी

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SCHEME

"Ridhi Sidhi Enclave"

KHASRA NO.- 1473, 1474, 3852, 3854 & 3855
AT REVENUE- VILLAGE- PHAGI NORTH, TEH.- PHAGI, JAIPUR
SCALE :- 1"=50'



ROAD 30' WIDE

ROAD 60'-0" WIDE

3846

other land

3853

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 40'-0" WIDE

3855

ROAD 30'-0" WIDE

3852

RASTA

3850

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 30'-0" WIDE

1475

1477

1478

1479

1471

1472

TO JAIPUR

TO PHAGI TOWN

MAIN JAIPUR -DIGGI EXPRESS HIGHWAY

AREA DETAIL

LAND USE	AREA IN SQ.YDS.	PER. %
1. RESIDENTIAL	7390.41	52.82 %
2. SHOP	100.00	00.71 %
3. PU	560.68	04.01 %
3. FACILITY (SCHOOL)	560.00	04.00 %
4. PARK	1069.38	07.65 %
5. SW / MT	83.72	00.60 %
6. ROAD	4226.21	30.21 %
SCHEME AREA	13990.50	100.00 %

कनिष्ठ / सहायक अभियंता
का नगर पालिका फाईली

वरिष्ठ प्रारूपकर्ता / सहायक नगर नियोजक
नगर पालिका फाईली

अधिशोषी अधिकारी
नगर पालिका फाईली

प्रशासक
नगर पालिका फाईली

नोट - राजस्व नमूना सीट से मिलान किया गया जो सीट नं. 1473, 1474, 3852, 3854, 3855 का है।
खसरा नमूना 1473, 1474, 3852, 3854, 3855 का है।

खसरा नमूना 1473, 1474, 3852, 3854, 3855 का है।